

एक बार के लिए निपटारा योजना

श्रेणी	योग्य कनेक्शन श्रेणी	मुख्य रकम		एलपीएससी में छूट
		तत्काल भुगतान पर छूट	किस्तों पर छूट	
सीधी चोरी	घरेलू (॥ किलोवॉट कनेक्टेड लोड तक)	दो-तिहाई	60% (अधिकतम चार किस्तों)	100%
मीटर से छेड़छाड़	घरेलू / व्यावसायिक (॥ किलोवॉट सैंकंड लोड तक)	दो-तिहाई	60% (अधिकतम चार किस्तों)	100%
बिजली का गलत/अनाधिकृत उपयोग	औद्योगिक को छोड़कर सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए लागू	मिसयूज वाले बिल की रकम पर 50%	मिसयूज वाले बिल की रकम पर 50% (अधिकतम चार किस्तों)	100%
कटे हुए कनेक्शन वाले उपभोक्ता	31 जुलाई 2015 तक कटे हुए कनेक्शन वाले सभी श्रेणी के उपभोक्ता (॥ किलोवॉट सैंकंड लोड तक)	लागू नहीं	लागू नहीं (अधिकतम चार किस्तों)	100%
जेजे क्लस्टर	जेजे क्लस्टरों में रहने वाले उपभोक्ता (जैसा कि डीएसआरबी वेबसाइट पर बताया गया है)	250 रुपये मासिक के हिसाब से शुल्क: • विद्युतीकरण की तारीख या आखिरी भुगतान जो भी बाद में हो, से • बिजली कटने की तारीख या 31 जुलाई, 2015 तक जो भी पहले हो • अधिकतम छह मासिक किस्तें		100%

▲ एलपीएससी पर पूरी छूट के बाद :

▲ बिजली चोरी से संबंधित मामलों का निपटारा करवाएं - दो-तिहाई तक की छूट पाएं

▲ मिसयूज वाले मामलों का निपटारा करवाएं - 50% की छूट पाएं

▲ जेजे क्लस्टर और कटे हुए कनेक्शन वाले के उपभोक्ता अपने मामलों का आर्कषिक निपटारा करवाएं

(सिर्फ 30 अगस्त से 30 सितम्बर, 2015 तक के लिए)

नोट:

- समय पर किसी किस्त के भुगतान न करने पर, इस स्कीम के तहत किया गया सेटलमेंट रद्द माना जाएगा
- सेटलमेंट पर, और तय की गई पूरी रकम की प्राप्ति के बाद, बिजली वितरण कंपनी व उपभोक्ता- दोनों ही, किसी भी अदालत व अन्य फोरम के समक्ष लंबित बिजली की सीधी चोरी और मीटर के छेड़छाड़ से जुड़े मामलों वापस ले लेंगे
- यह वन-टाइम स्कीम है और स्कीम के बंद होने के बाद बाद बिजली चोरी के मामलों से, कानून के मुताबिक, सख्ती से निपटा जाएगा
- कानून के किसी भी कोर्ट, लोक अदालत या डिस्कॉम के ऑफिस में सेटल किए गए मामलों को इस स्कीम में शामिल करने के लिए नहीं खोला जाएगा।

अब अपने मोबाइल ऐप से बिजली गुल की शिकायत दर्ज करें

अब बीवाईपीएल उपभोक्ताओं को बिजली गुल से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक अतिरिक्त सुविधा मिल गई है। बीवाईपीएल ने स्मार्ट फोन के लिए हाल ही में एक यूजर फ्रेंडली, मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से उपभोक्ता बिजली के बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

“बीएसईएस ऐप” नामक इस मोबाइल ऐप के जरिए बीवाईपीएल के उपभोक्ता आसानी से “बिजली गुल”, “स्ट्रीट लाइट” और “आपातकालीन (आग और दुर्घटना)” संबंधी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

शुरुआत में यह सुविधा एंड्रॉयड फोन पर उपलब्ध है। उपभोक्ता बीएसईएस की वेबसाइट www.bsesdelhi.com से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि कंज्युमर सर्पोट सेक्शन पर उपलब्ध है। गूगल प्ले से भी इसे डाउनलोड किया जा सकता है।



आपकी सेवा में 24x7 फोन 399-99-808

अपने फीडबैक व सुझाव भेजें: कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस
बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: शक्ति किरण बिल्डिंग, कड़कड़डूमा,
दिल्ली-110032, सीआईएन: U74899DL2001PLC111525
फोन: 011-399-99-808, वेबसाइट: www.bsesdelhi.com

एसएमएस

टाइप करें-बीएसईएस वाईपी, स्पेस दें, एनसी लिखें, स्पेस दें, नौअकों वाला सीए नंबर टाइप करें और 5616108 पर भेज दें

आईवीआरएस

अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर से 399-99-808 पर फोन करें, बिजली गुल के लिए 1 दबाएं, और आईवीआरएस आधारित सेवाओं के लिए आध्वन 2 चुनें। आपका अनुरोध अपने आप ही रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगर आप किसी रजिस्टर्ड नंबर से कॉल नहीं कर रहे हैं, तो कृपया अपना सीए नंबर पंच करें, आपकी रिक्वेस्ट स्वतः रजिस्टर हो जाएगी।

सरकार के डिजिटल लॉकर मुहिम का हिस्सा बनकर, डिजिटली सशक्त बनें

दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखें, साझा करें और प्रमाणित करें



डिजिटल लॉकर के लाभ

- भारत सरकार द्वारा दी गई सुरक्षित सुविधा (1 जीबी का सुरक्षित स्पेस बिल्कुल मुफ्त)
- यह फिजिकल डॉक्यूमेंट्स यानी भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को खत्म करता है
- कमी भी और कहीं भी उपलब्ध
- महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं (जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्कूल प्रमाणपत्र)
- अन्य विभागों द्वारा जारी किए गए दस्तावेज देख सकते हैं
- ई-साइन के माध्यम से दस्तावेजों को ऑनलाइन प्रमाणित कर सकते हैं
- एजेंसियों के साथ आसान ऑनलाइन शेयरिंग की जा सकती है

वर्तमान चुनौतियां

- फिजिकल यानी भौतिक दस्तावेज/प्रमाणपत्र (जैसे कि पार्सपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, गैस, फोन व बिजली कनेक्शन) की कई कॉपियां प्रस्तुत करना
- भौतिक कागजात को सुरक्षित रखना, उनकी फोटोकॉपी करवाना, उन्हें अटेस्ट करवाना और प्रमाणित करवाना

आसान है इसका हिस्सा बनना

- लॉगऑन करें <https://digilocker.gov.in>
- अपने मोबाइल फोन से लिंक आधार कार्ड के माध्यम से इसका हिस्सा बनें